

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL Government of Madhya Pradesh

/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2022

दिनांक . 30/9/22

प्रति.

आदेश

कुलसचिव, आर.के.डी.एफ. विश्वविद्यालय भोपाल (म.प्र.)

विषय-शैक्षणिक सत्र वर्ष 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2022—23 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर अधोलिखित तथ्यों / शर्तों के अध्यधीन की गई है। इस हेतु आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15.09.2022 में की गयी अनुशंसाएं में लिये गये निर्णय के परिपालन में एवं आयोग की सभा बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संचालित पाठ्यकमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (राशि रूपये में)

by Fee Review Com	Fee Reviewed	Proposed Fee by University	Course Name	S.No
Development Fee& All other Miscellaneous fee (15%)	Tuition Fee (85%)			
5250	29750	35000	Diploma Engineering	1
8250	46750	55000	Bachelor of Engineering	2
8250	46750	55000	Master of Technology	3
15765	89335	150000	Diploma Pharmacy	4
9750	55250	65000	Bachelor of Pharmacy	5
4500	25500	30000	B PHARMA PRACTICE	6
- 15000	85000	100000	Master of Pharmacy	7
	Development Fee& All other Miscellaneous fee (15%) 5250 8250 8250 15765 9750 4500	Tuition Fee (85%) Fee& All other Miscellaneous fee (15%) 29750 5250 46750 8250 46750 8250 89335 15765 55250 9750 25500 4500	Proposed Fee by University Tuition Fee (85%) Development Fee& All other Miscellaneous fee (15%) 35000 29750 5250 55000 46750 8250 55000 46750 8250 150000 89335 15765 65000 55250 9750 30000 25500 4500	Course Name Proposed Fee by University Tuition Fee (85%) Development Fee& All other Miscellaneous fee (15%) Diploma Engineering 35000 29750 5250 Bachelor of Engineering 55000 46750 8250 Master of Technology 55000 46750 8250 Diploma Pharmacy 150000 89335 15765 Bachelor of Pharmacy 65000 55250 9750 B PHARMA PRACTICE 30000 25500 4500

निरंतर --02

कार्यालय : ज्ञान वाटिका, वाल्मी रोड, कलियासोत डेम के सामने भोपाल- 462016 (म.प्र.) **ई-मेल** : Sec.mppurc@gmail.com, वेबसाइट : mpnvva.in, फोन : 0755-2490322 Office: Gyan Vatika, Walmi Road, Opposite Kaliyasot Dam, Bhopal-462016 (M.P.) Email: Sec.mppurc@gmail.com, Website: mpnvva.in, Phone: 0755-2490322

//02// शैक्षणिक सत्र 2022—23 में संचालित पाठ्यकमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (राशि रूपये में)

50000	7500	42500	50000	B. Tech (Agricultural Engineering)	8
70000	10500	59500	70000	Bachelor of Science (Ag)	9
60000	9000	51000	60000	Master of Science (Agriculture)	10
25000	3750	21250	28000	Diploma in Agriculture (8 Subjects)	11
55000	8250	46750	55000	Bachelor of Architecture	12
90000	13500	76500	90000	Master of Architecture (M.Arch)	13
35000	5250	29750	35000	Master of Computer Application	14
16000	2400	13600	16000	Bachelor of Computer Application	15
10000	1500	8500	10000	DCA	16
1200	1800	10200	12000	PGDCA	17
5000	7500	42500	50000	Master of Business Administration	18
1800	2700	15300	18000	Bachelor of Business Administration	19
4000	6000	34000	40000	Diploma Paramedical DMLT	20
2500	3750	21250	25000	Diploma Paramedical Xra.Tech	21
5250	- 7875	44625	60000	Degree Paramedical BMLT	22
5000	7500	42500	50000	Degree Paramedical BPT	23
2500	3750	21250	25000	Diploma Paramedical Ayurvedic	24
13660	20490	116110	153000	Bachelor Of Homoeopathic Medicine And Surgery	25
6000	9000	51000	60000	General Nursing & Midwifery(GNM)	26
9000	13500	76500	90000	Bchelor of Science (Nursing)	27
6370	9555	54145	75000	Post Basic B.Sc. (Nursing)	28
4430	6645	37655	44300	Diploma in Education	29
5500	8250	46750	55000	Bachelor of Education	30
6500	9750	55250	65000	Master of Education	31
980	1470	8330	10000	Bachelor of Arts	32

निरंतर -03

13/5/2h

//03// शैक्षणिक सत्र 2022—23 में संचालित पाठ्यकमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (जिंका रूपये में)

	(रा	शि रूपये में)			
33	Master of Arts	15000	12750	2250	15000
34	Bachelor of Arts Bachelor of Laws(BALLB)	25000	21250	3750	25000
35	Bachelor of Law (LLB)	30000	20655	3645	24300
36	Master of Law (LLM)	55000	46750	8250	55000
37	Bachelor of Commerce (Plan/Honour)	13000	11050	1950	13000
38	Bachelor of Commerce(Computer)	14000	11900	. 2100	14000
39	Master of Commerce	20000	17000	3000	20000
40	Bachelor of Social Work	20000	17000	3000	20000
41	Master of Social Welfare (MSW)	20000	17000	3000	20000
42	Bachelor of Science	15000	12750	2250	15000
43	Master of Science	20000	17000	3000	2000
44	Bachelor of Library & Information Sciences (B.Lib. I. Sc)	10000	8500	1500	1000
45	Master of Library & Information Sciences (M.Lib. I. Sc)	12000	10200	1800	1200
46	Bachelor In Ayurvedic & Medical Science (B.A.M.S)	300000	218195	38505	25670
47	Diploma In Pharmacy Homoeopathy	25000	21250	3750	2500

नोट— उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर की गई है।

- उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रिजस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, परीक्षा शुल्क एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सिहत शुल्क सिमिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्को का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 3. **सत्र 2022—23** हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकडों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकडों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये ।

निरंतर -04

//04// शैक्षणिक सत्र 2022—23 में संचालित पाठ्यकमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (राशि रूपये में)

- 4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
- 5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है।
- 6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। शुल्क नियमन किये गये पाठ्यक्रमों में यदि आयोग की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है तो ऐसे पाठ्यक्रमों की आयोग से अनुज्ञा प्राप्त की जाये।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. के.पी. साहू) सचिव म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. **क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2022** प्रतिलिपि—

भोपाल, दिनांक

निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।

- 2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय,की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।
- 3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
- 4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
- 5. गार्ड फाईल।

सचिव म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग्.भोपाल